

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 143/2023

निर्णय दिनांक :- 31.08.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. भंवरलाल पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0
 2. रामघणी पुत्री जाति मीणा निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0
 3. रामेश्वर पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0
- प्रार्थीगण—

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थी—

उपस्थिति :- श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वारते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 394 खसरा नम्बर 201/2101 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 2260/203 रकबा 0.17 है0, 2261/204 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 2262/206 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम संधली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के अडवे ही अन्य खातेदारान जो बहुबल एवं अपने लठ के जोर पर प्रार्थी को डरा धमकाकर प्रार्थीगण की भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड, डोल को हकाई कर नष्ट कर अपने खेतों में मिला लिया और प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में हकाई, बुआई व फसल काशत करने मे बेजा मजामत करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में लडी मेड, डोल एवं सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया है। इस कारण मौके पर विवाद बना रहता है एवं प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काशत करने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को



प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।


तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है तथा किसी अन्य खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद नहीं होना बताया है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में अंकित खाता संख्या 394 खसरा नम्बर 201/2101 रकबा 0.36 है, खसरा नम्बर 2260/203 रकबा 0.17, 2261/204 रकबा 0.46 है, खसरा नम्बर 2262/206 रकबा 0.25 है वाके ग्राम संधली तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली